संख्या- 19/ 1737 ई-2/तेरह-2014-50/2011

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बरेली।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 01 अक्टूबर, 2014

विषय:- श्री पीयूष अग्रवाल पुत्र श्री दिनेश चन्द्र अग्रवाल निवासी-209, सिविल लाइन्स, स्टेशन रोड, बरेली के नाम होटल "द मैनर (ए यूनिट ऑफ आर0आर0 इन्टरप्राइजेज), स्टेशन रोड, बरेली में एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली के पत्र संख्या-1265/आबकारी/बार अनुज्ञापन, दिनांक 17 जुलाई,2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 17 जुलाई,2014 के साथ प्राप्त जिला बार समिति की बैठक दिनांक 17-7-2014 के कार्यवृत्त में जिला बार समिति द्वारा की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी 79/दस-लाइसेंस-7/खण्ड-4/एफ0एल0-6, 7/बार अनु0/बरेली, दिनांक 25 अगस्त,2014 में की गई संस्तुति तथा अन्य समस्त सुसंगत अभिलेखों पर

http://shasnadesh.up.nic.in

शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वर्ष 2014-15 के लिये श्री पीयूष अग्रवाल पुत्र श्री दिनेश चन्द्र अग्रवाल निवासी-209, सिविल लाइन्स, स्टेशन रोड, बरेली के नाम होटल "द मैनर (ए यूनिट ऑफ आर0आर0 इन्टरप्राइजेज), स्टेशन रोड, बरेली में एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन बार अनुज्ञापन सृजित/व्यवस्थित किये जाने की स्वीक़ति/अनुमति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुनील कुमार पाण्डेय)

अनु सचिव।

संख्या- 19/1737(1) ई-2/तेरह-2014तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या- जी 79/दस-लाइसेंस-7/खण्ड-4/एफ0एल0-6, 7/बार अनु0/बरेली, दिनांक 25 अगस्त,2014 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं नियमानुसार अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार पाण्डेय)

अनु सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in